वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः डी0एस0डब्ल्यू/414 /2020–21 **अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण/तत्काल** दिनांक : 14.10.2020

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
सम्बद्ध महाविद्यालय
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः–**पोस्ट मैट्रिक, मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं में राष्ट्रीय स्कालरशिप पोर्टल (NSP) पर संस्थाओं के पंजीकरण व KYC के सत्यापन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

पोस्ट मैट्रिक, मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं में राष्ट्रीय स्कालरशिप पोर्टल (NSP) पर संस्थाओं के पंजीकरण व KYC के सत्यापन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना नितान्त आवश्यक हैः–

1–पहले से पंजीकृत संस्थान अपनी लॉगिन आई0डी0 से KYC अपडेट करके संस्थान के पैड पर लिखित रूप में सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को अवगत करायेंगे।

2–नवीन संस्थान पंजीकरण हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनके मोबाइल नं0 संस्थान की ई–मेल आई0डी0 सहित संस्था के मान्यता की समस्त प्रतियों के साथ संस्था के पैड पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव, अधिष्ठाता छात्र कल्याण को आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे।

3–संस्था से प्राप्त आवेदन को विश्वविद्यालय अग्रसारित कर सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

4–जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से मास्टर डाटा में सम्मिलित कर संस्थान के नोडल अधिकारी के मोबाइल नं0 पर यूजर–आई0डी0 व पासवर्ड प्राप्त कराया जायेगा।

5–लॉगिन आई0डी0 प्राप्त होने के बाद संस्था द्वारा अपना सम्पूर्ण विवरण एन0एस0पी0 के पोर्टल पर भरकर ऑनलाइन प्राप्त 02 पन्ने का आवेदन पत्र जिस पर संस्थान के नोडल अधिकारी का पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो लगा हो संस्थान के प्रधानाचार्य से सत्यापित कर पुनः जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

6–जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से सम्बन्धित संस्थान की KYC अपडेट की जायेगी, जिसके बाद संस्थान नेशनल स्कालरशिप पोर्टल www.scholarships.gov.in पर स्वतः प्रदर्शित हो जायेगी।

––2––

7– NSP पोर्टल पर संस्थान प्रदर्शित होने के बाद छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।

8– KYC अपडेट करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक है, तथा आवेदन की तिथि दिनांक 16 जुलाई से 31 अक्टूबर 2020 तक अनवरत है।

रजिस्ट्रेशन करने में या किसी अन्य तरह की दिक्कत आने पर सम्बन्धित जनपद के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से या विश्वविद्यालय में डी0एस0डब्लू कार्यालय में श्री दिवाकर शर्मा (मोबाइल नं0 8052518136) से सम्पर्क करें।

भवदीय,

(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः–

1–मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर के संज्ञानार्थ
2–जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर के सूचनार्थ
3–विशेष कार्याधिकारी कुलपति, मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
4–वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
5–सहायक कुलसचिव, प्रशासन के सूचनार्थ।
6– वेब मास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित की उपरोक्त पत्र एवं साथ में संलग्न प्रपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

15/10/.20
अधिष्ठाता छात्र कल्याण